



पत्रांक : प्रोरासिविवि/कुसका/2023-1517

दिनांक 25.11.2023

आवश्यक सूचना

विगत कई माह से प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऐसे बाहरी व्यक्ति जो न तो महाविद्यालय के प्रबन्धक/अध्यक्ष होते हैं अथवा प्राचार्य/प्राचार्या/शिक्षक ही होते हैं, वे प्रतिदिन विश्वविद्यालय परिसर स्थित कार्यालयों में इधर-उधर बैठकर शासकीय/विश्वविद्यालयीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं।

उपर्युक्त के दृष्टिगत प्राप्त आदेशानुसार समस्त महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र के अध्यक्ष/प्रबन्धक तथा प्राचार्य को विश्वविद्यालयीय कार्यहित में सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी कार्य हेतु स्वयं अथवा किसी नामित प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए ही विश्वविद्यालय में भेजने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति की विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। किसी भी स्थिति में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाता है।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय कुलपति जी।
2. कुलानुशासक को इस आशय से कि सुरक्षा एजेन्सी को उक्तानुसार क्रियान्वयन हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
4. प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
5. समस्त अधिकारीगण।
6. सहायक कुलसचिव-प्रशासन को इस आशय से कि प्रशासनिक भवन में प्रतिदिन आने वाले आगन्तुकों की अनुमति प्रदान किए जाने से सम्बन्धित पास निर्गमन व्यवस्था हेतु प्रस्ताव अविलम्ब प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
7. प्रभारी एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव